FORM NO.111

फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीमाधोपुर (सीकर)

गीता देवी बनाम भूमिधारी तहसीलदार श्रीमाधोपुर

मुकदमा नम्बर—196 /2017

किस्म मुकदमा— दावा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
.12.2017	वादी वकील श्री रक्षपाल स्वामी एड0 ने उपस्थित होकर दावा पेश किया। दावा दर्ज रजिस्टर किया जावें। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये सम्मन की जाकर पत्रावली दिनांक 17.01.2018 को पेश हो। Gm	
17-1-18	पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरीकेन उपस्थित/ पीठा. / अन्य कार्य में व्यस्त/ मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 22-1-18 को पेश हो। (हस्ताक्षर)	
31-1-18	इकजाई तारीख पेशी देने पर आज पत्रावली पेश हुई। वकलाय फरिकेन उपस्थित/पीठा. अधिकारी दौरे/अन्य कार्य में व्यस्त/मीटिंग में है। पत्रावली पूर्व आदेशानुसार दिनांक 6-2-18 को पेश हो।	
06.02.18	पत्रावली पेश हुई। वकील वादिया उपस्थित। प्रकरण में ~~प्रतिवादी की ओर से~~ जॉच रिपोर्ट जरिये पत्रांक 156/भू.अ./2018 दिनांक 16.01.2018 के द्वारा प्राप्त होने पर पेश हुई। जो शामिल पत्रावली की गई। तहसीलदार श्रीमाधोपुर ने अपनी रिपोर्ट में ग्राम रतनपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1508 रकबा 1.58 हैक्टर में गीतादेवी पत्नि पप्पूराम जाति जाट के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रयलेख से जरिये नामान्तरण दर्ज हुई है। प्रार्थीया के द्वारा अपने पति का नाम पप्पूराम के स्थान पर हरिनारायण अंकित कराना चाहती है। राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र एंव मार्कशीट की प्रतियों के आधार पर ग्राम पंचायत द्वारा हरिनारायण व पप्पूराम एक ही व्यक्ति होने बाबत प्रमाण पत्र जारी किया गया है। पप्पूराम पुत्र नानूराम के स्थान पर हरिनारायण पुत्र नानूराम को शुद्ध किये जाने हेतु पत्र भिजवाया गया है। वकील वादी ने प्रकरण में आज ही बहस सुने जाने का निवेदन किया। वकील वादी के निवेदन पर बहस वकील वादी एक पक्षीय सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने अवगत कराया कि Gm	

गीता देवी बनाम अधिकारी तह० श्रीमाधोपुर

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय लघु हस्ताक्षर जज मु० नं० - 196/2017
	प्रकरण में ग्राम रतनपुरा के भूमि खसरा नम्बर 1508 रकबा 1.58 हैक्टर में गीतादेवी पत्नि पप्पूराम जाति जाट के नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रयलेख से जरिये नामान्तरण दर्ज हुई है जबकि अन्य दस्तावेज परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र आदि में वादिया के पति का नाम हरिनारायण अंकित है। उक्त खसरा नम्बर का विक्रयलेख वादिया के नाम करवाते समय वादिया के पति का घरेलू नाम पप्पूराम लिख दिया गया जिसके कारण खातेदारी में वादिया के पति का नाम पप्पूराम दर्ज हो गया। जिसके कारण राज्य सरकार से मिलने वाली सुविधाओं में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जिसे पप्पूराम के स्थान पर हरिनारायण दुरूस्त कराने हेतु वादपत्र पेश किया गया है। वकील वादी ने नाम दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया है। हमने वकील वादी की बहस को ध्यानपूर्वक सुना व बहस पर सगौर मनन किया तथा पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी सम्वत् 2073 से 2076, सरपंच ग्राम पंचायत नाथूसर द्वारा जारी प्रमाण पत्र, परिवार राशन कार्ड, मतदाता पहिचान पत्र, आधार कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, विक्रय लेख दिनांक 27.04.2004 की प्रतिलिपि, वादिया का स्वंय का शपथ पत्र मुख्य परीक्षण में एंव तहसीलदार श्रीमाधोपुर द्वारा प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट दिनांक 16.01.2018 इत्यादि का अवलोकन किया गया। जिनके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 1508 रकबा 1.58 हैक्टर की खातेदारी में वादीया के पति का नाम हरिनारायण के स्थान पर पप्पूराम दर्ज रिकार्ड हो गया। वादीया के पति का वास्तविक नाम हरिनारायण ही है। वादीया के पति का नाम पप्पूराम गलत रूप से अंकित है। वादीया के नाम दर्ज खातेदारी गीतादेवी पत्नी पप्पूराम के स्थान पर गीतादेवी पत्नि हरिनारायण घोषित किया जाकर दुरूस्त कराने हेतु वादपत्र पेश (initials)

Scanned by CamScanner

गीता देवी बनाम अधिकारी तह० श्रीमाधोपुर

हुक्म या कार्यवाही मय लघुहस्ताक्षर जज प्र० सं० - 196/2017	नम्बर व तारीख अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुए

किया गया है। तहसीलदार श्रीमाधोपुर से प्राप्त अभिशंषा रिपोर्ट से भी वादपत्र में अंकित तथ्यों की पुष्टि होती है।

अतः वकील वादीया द्वारा प्रस्तुत वादपत्र न्यायहित में स्वीकार किये जाने योग्य पाये जाने पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि ग्राम रतनपुरा के कृषि भूमि खसरा नम्बर 1508 रकबा 1.58 हैक्टर में वादीया के नाम दर्ज खातेदारी गीतादेवी पत्नी पप्पूराम के स्थान पर गीतादेवी पत्नि हरिनारायण घोषित किया जाकर दुरूस्त किया जाकर उक्त भूमि का वादीया को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर राजस्व रिकार्ड में वादिया के पति का नाम गीतादेवी पत्नि हरिनारायण राजस्व रिकार्ड में दुरूस्ती किया जावें। इसी अनुसांर पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तंकमील दाखिल दफ्तर हों।

यह निर्णय आज दिनांक 06.02.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हस्ताक्षर)

(ब्रह्म लाल जाट)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीमाधोपुर (सीकर)

Scanned by CamScanner